

5 RS. COURT INDIAN  
पांच रुपये  
FIVE RUPEES

5 RS. COURT INDIAN  
पांच रुपये  
FIVE RUPEES

5 RS. COURT INDIAN  
पांच रुपये  
FIVE RUPEES

216

नवीन 9-3-85

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 99 निगरानी 851-एफ 199

बालुबाल पिता हीरालाल जाति ब  
निवासी ग्राम लुहारी दस्ती  
उज्जैन

- 1- बालुबाई विधवा बालुबाल जाति
- 2- विनाद पिता टैकबन्द
- 3- रामेश्वर पिता टैकबन्द
- 4- मुकेश पिता टैकबन्द
- 5- कु रैखा पुत्री टैकबन्द

अज्ञेयस्क संज्ञाक माता बालुबाई वि  
बलाई, निवासी ग्राम लुहारी  
खाचरीद जिला उज्जैन

विषय - पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 50

राजकीय महीदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त स  
के आदेश दिनांक 29-1-99 प्रकरण क्रमांक 97-9  
पारित आदेश के उस भाग को जिसमे अधीनस्थ न्यायालय  
आदेश की अपील नहीं हो सकती है निषिद्ध किया है  
अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

1:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश अपर आयुक्त स  
विधान के विपरीत होने से निरस्त किया जाने चाहिए  
कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय न्यायालय  
न आदेश निरस्त कर दिया है एवं समय

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a signature that appears to be 'Rajkiya Mahiday' and some illegible scribbles.

216

10/11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-851-एक/1999

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों के नामों का आदेश पत्र
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 26-12-2018 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p>(महेश/चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	